

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 82/15

संस्थापन दिनांक:-27/02/15

फाईलिंग नं. 233504003442015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. त्रिताल पिता चैतराम मेहरा, उम्र 40 वर्ष
  2. अर्जुन उर्फ बक्कू पिता मिश्री मेहरा, उम्र 30 वर्ष
  3. गन्नीबाई पति टाटरू मेहरा, उम्र 40 वर्ष
  4. किशोरी पिता मटरू वामने, उम्र 50 वर्ष
- सभी निवासी ग्राम ठानी, थाना आमला,  
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 16.04.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34(तीन काउंट में), 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.01.2015 को समय 10:30 बजे या उसके लगभग फरियादी का खेत ग्राम बूचनवाड़ी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी अम्मीलाल और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी अम्मीलाल, लीलाबाई एवं राजेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी अम्मीलाल, राजेश, लीलाबाई को हाथ थप्पड़, लात घुसों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 11.01.2015 अपनी पत्नी एवं लड़के के साथ खेत पर गेहूं बोने के लिए गये थे। तभी अभियुक्तगण उसके खेत पर आये और तीनों को खेतीबाड़ी को जोतने की बात को लेकर मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दी। गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उनके साथ हाथ थप्पड़, लात मुक्के से मारपीट किये। मारपीट से उन तीनों को चोटें आयी। अभियुक्तगण ने उन्हें जान से खत्म करने

की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 24/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहतगण चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादीगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी अम्मीलाल, लीलाबाई, राजेश के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण**

5 अम्मीलाल (अ.सा.-1) एवं राजेश (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन

परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उनके साथ गाली गलौच की थी। साक्षी उर्मिला (अ.सा.-4) एवं उमेश (अ.सा.-5) ने भी उनके न्यायालयीन कथनों में बताया है कि घटना के समय अभियुक्तगण गाली गलौच कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षीगण अम्मीलाल (अ.सा.-1), राजेश (अ.सा.-3), उर्मिला (अ.सा.-4), उमेश (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गाली गलौच किया जाना बताया है परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी अम्मीलाल (अ.सा.-1) एवं राजेश (अ.सा.-3) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी लीलाबाई (अ.सा.-2) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उन्हें हमारी जमीन में क्यों जोतते बोते हो हमारी जमीन खाली करो नहीं तो खत्म कर देंगे कहा था। साक्षी उर्मिला (अ.सा.-4) एवं उमेश (अ.सा.-5) ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादीगण को जान से मारने की धमकी दी थी। यद्यपि साक्षीगण अम्मीलाल (अ.सा.-1), लीलाबाई (अ.सा.-2), राजेश (अ.सा.-3), उर्मिला (अ.सा.-4) एवं उमेश (अ.सा.-5) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। जान से मारने की धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे फरियादी के मन में यह भय पैदा हो जाये कि ऐसी धमकी का क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। आपराधिक अभित्रास गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होना चाहिए तथा संत्रास कारित करने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसी धमकी देने का आशय उसे कार्यरूप में परिणित करने का न हो और फरियादी भयभीत न हुआ हो तो अपराध गठित नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **लक्ष्मण विरुद्ध म.प्र. राज्य 1989 जे.एल.जे. 653** अवलोकनीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा-506 भाग-2 भा०दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण**

8 अम्मीलाल (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ लाठी, हाथ मुक्के से मारपीट की थी जिससे उसे पीठ, पसली और अन्य जगह चोटें आयी थी। लीलाबाई (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ झूमा झटकी की, बाल खींचे, लात घुसों से मारपीट की थी। राजेश (अ.सा.-3) ने भी यह बताया है कि अभियुक्तगण ने लात घुसों और मुक्कों से उसके साथ मारपीट की थी। उर्मिला (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त किशोरी ने उसके जेठ राजेश की कॉलर पकड़ ली थी, शेष अभियुक्तगण ने उसके जेठ राजेश को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी थी। अभियुक्त गन्नीबाई ने उसकी सास के बाल पकड़कर मारपीट की थी। अभियुक्तगण ने उसके ससुर के साथ भी मारपीट की थी। उमेश (अ.सा.-5) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी मां, पिता और भाई के साथ मारपीट की थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-9) ने दिनांक 11.01.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत राजेश का परीक्षण करने पर आहत की गर्दन के सामने तरफ 3 गुणा 2 सेमी आकार की सूजन एवं दर्द पाया था एवं आहत लीलाबाई का परीक्षण करने पर आहत की छाती एवं पीठ में दर्द, पीठ में 5 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन, गर्दन के सामने तरफ 3 गुणा 2 सेमी आकार की सूजन पायी थी तथा आहत राजेश का परीक्षण करने पर आहत को गर्दन एवं पीठ में दर्द पाया था। साक्षी ने आहत अम्मीलाल एवं लीलाबाई को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 को प्रमाणित किया है।

10 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 11.01.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी अम्मीलाल की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 24/15 धारा 294 323 506 34 भा.दं.सं. में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) तथा दिनांक 14.11.2015 को घटना स्थल जाकर फरियादी के बताये अनुसार घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा दिनांक 16.01.2015 को अभियुक्त त्रिताल, बक्कू, गन्नीबाई, किशोरी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 लगायत प्रदर्श पी-7 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी

ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा अन्य साक्षीगण एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं जिनके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा साक्षीगण ने अभियोजन कथा के अनुरूप भी कथन नहीं किये हैं जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र साक्षी शिवराम (अ.सा.-6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के दिन फरियादीगण खेत पर बोवनी करने के लिए गये थे। वह अपने खेत पर गन्ना काट रहा था। तभी हल्ले की आवाज आयी तो उसने जाकर देखा तो 30-35 लोग मौके पर थे। वहां पर झगड़ा हो रहा था। कौन किसके साथ झगड़ा कर रहा था यह उसने नहीं देखा। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने केवल आवाज सुनी थी। कोई घटना नहीं देखी थी। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु मात्र साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन कथा दूषित नहीं हो जाती है।

13 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रकरण में अन्य साक्षीगण प्रकरण में एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस. सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है। अतः प्रकरण में शेष अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि उनके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

14 उर्मिला (अ.सा.-4), उमेश (अ.सा.-5) आहतगण के परिवार के सदस्य हैं। उर्मिला (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके जेट राजेश की कॉलर पकड़ ली थी, बीच बचाव करने के लिए उसके सास ससुर पहुंचे तो अभियुक्त गन्नीबाई ने उसकी सास लीलाबाई के बाल पकड़कर मारपीट की थी। उसके ससुर अम्मीलाल को किशोरी ने मारा था। उमेश (अ.सा.-5) ने यह बताया है कि खेत पर गेहूं बो रहे थे तभी अभियुक्तगण आये और उसके बड़े भाई राजेश की कॉलर पकड़ ली। वह थोड़ी दूरी पर था, जैसे आवाज हुई वह दौड़कर गया तो देखा कि अभियुक्तगण उसकी मां, पिता और भाई के साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर रहे हैं। प्रतिपरीक्षण में दोनों ही साक्षीगण ने स्वयं का मौके पर उपस्थित होना बताया है और इस बात पर वे

अखंडित भी रही हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा अम्मीलाल, लीलाबाई और राजेश के साथ मारपीट किये जाने के सुझाव को गलत बताया है।

15 अम्मीलाल (अ.सा.-1), लीलाबाई (अ.सा.-2), राजेश (अ.सा.-3) यह प्रकरण में आहतगण हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने जमीन की बात पर से उनके साथ मारपीट की थी। अम्मीलाल (अ.सा.-1) ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने लाठी, हाथ मुक्के से मारपीट की थी जिससे उसे पीठ, पसली और अन्य जगह पर चोट आयी थी। लीलाबाई (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने झूमा झटकी की थी, उसके बाल खींचे और लात घूसों से मारपीट की थी। राजेश (अ.सा.-3) ने अभियुक्तगण द्वारा लात घूसों और मुक्कों से मारपीट करना बताया है।

16 अम्मीलाल (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि यदि जमीन का विवाद नहीं होता तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। स्वतः कहा कि अभियुक्तगण मारते ठोकते नहीं तो हम भी रिपोर्ट नहीं करते। पुनः से साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उनकी रिपोर्ट की थी इसलिए उन्होंने भी अभियुक्तगण की रिपोर्ट की। स्वतः में कहा कि अभियुक्तगण ने मारा था, गेहूं छीनकर ले गये थे इसलिए रिपोर्ट की थी। घटना की रिपोर्ट तुरंत करा दी गयी थी। साक्षी ने यह बताया है कि वह नहीं बता सकता कि अभियुक्तगण ने कहाँ पर मारपीट की थी। स्वतः में कहा कि सभी ने मिलकर मारा था। लीलाबाई (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने हाथ मुक्कों से बाल पकड़कर खींचकर मारा था। पांच लोगों ने मिलकर मारपीट की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी। स्वतः कहा कि बाल पकड़कर खींचा था। झूमा झटकी की थी, लात पैरों से मारा था। पुनः से इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की थी। राजेश (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय सभी लोग खेत पर थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में इस सुझाव को सही बताया है कि यदि अभियुक्तगण ने जमीन का विवाद नहीं होता तो अभियुक्तगण की रिपोर्ट नहीं करते। इस सुझाव को भी सही बताया है कि जमीन के विवाद को लेकर उनकी लामा झूमी हुई थी। स्वतः कहा कि लामा झूमी नहीं हुई थी अभियुक्तगण ने मारा था।

17 प्रकरण में आहत अम्मीलाल (अ.सा.-1), लीलाबाई (अ.सा.-2), राजेश (अ.सा.-3) आहतगण हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियुक्तगण के द्वारा उनकी मारपीट की जाना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य पर पूर्णतः

अखंडित रहे हैं। यद्यपि साक्षीगण ने पांच लोगों के द्वारा उनकी मारपीट की जाना बताया है। कचर्या के द्वारा भी उन्होंने मारपीट करना बताया है जिससे कि यह प्रकट हो रहा है कि साक्षीगण ने अतिशयोक्तिपूर्ण कथन किये हैं क्योंकि न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही साक्षीगण के कथनों में अभियुक्तगण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया जाना बताया है परंतु मात्र साक्षीगण के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण कथन किये जाने से या घटना का बढ़ाचढ़ाकर बताये जाने से उनके संपूर्ण कथन अविश्वसनीय नहीं हो जाते हैं। आहतगण की साक्ष्य साक्षी उर्मिला एवं उमेश से भी समर्थित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उर्मिला एवं उमेश के द्वारा बीच बचाव किया जाना लेख है। साक्षी उमेश एवं उर्मिला अपने कथनों पर स्थिर रहे हैं। उनके कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं हो रहा है। आहतगण की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। घटना के तत्काल पश्चात आहत एवं फरियादी के द्वारा रिपोर्ट लेख करायी गयी है जिससे अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त किया जाना भी प्रकट नहीं हो रहा है। अतः साक्ष्य विवेचन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने आहत लीलाबाई, राजेश और अम्मीलाल की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की।

18 अभियुक्तगण का एक साथ फरियादी अम्मीलाल, आहत लीलाबाई एवं राजेश के साथ मारपीट किया जाना उनके सामान्य आशय को एवं स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो। अतः अभियुक्तगण का कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में कारित किया जाना प्रकट होता है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में फरियादी एवं आहतगण के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

### **विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण**

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी अम्मीलाल और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अम्मीलाल, लीलाबाई एवं राजेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी अम्मीलाल, राजेश, लीलाबाई को हाथ थप्पड़, लात घुसों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

फलतः अभियुक्तगण त्रिताल, अर्जुन उर्फ बक्कू, किशोरी एवं गन्नी को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34(तीन काउंट में) भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

20 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

**पुनश्च :-**

21 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए.डी.पी.ओ. के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा चारों अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

22 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी एवं आहतगण के साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर उन्हें उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

23 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं तथा चारों अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के



उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण त्रिताल, अर्जुन उर्फ बक्कू, किशोरी एवं गन्नी को धारा 323/34(तीन काउंट में) भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रत्येक काउंट में दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 200/-200/- रुपये कुल 600/- 600/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15-15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

24 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 500/-500/- रुपये आहतगण अम्मीलाल, लीलाबाई, राजेश सभी निवासी बूचनवाड़ी, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

25 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

26 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)